

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013

क्रमांक प.10 (छ) () / भ.आ. / DLB / 2022 / 1177

दिनांक : 07.07.2022

विज्ञप्ति

विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2022 दिनांक 06.06.2022 एवं विज्ञप्ति दिनांक 17.06.2022 के अनुक्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (4)कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 11.01.2022 में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग (राज्य स्तर) में निम्न पदों की सेवाएँ संविदा पर लिये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक व्यक्तिशः अथवा email id: Secretarycommissiondlb@gmail.com पर दिनांक 21.07.2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

नोट:- आवेदकों द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति दिनांक 06.06.2022 के अन्तर्गत किये गये समस्त आवेदन निरस्त किये जाते हैं, इच्छुक आवेदक इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत करें।

पदवार एवं वर्गवार आरक्षण संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	सामान्य (अनारक्षित)	
			सामान्य	महिला
1	लेखा मैनेजर	01	01	-
2	स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर	01	01	-
3	लेखा सहायक	02	02	-
4	एम.आई.एस.मैनेजर	04	03	01

नोट:- उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।

(01) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:-

1. लेखा मैनेजर:- CA/ICWA/CS
2. स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर: MCA
3. लेखा सहायक:- बी कॉम / सीए इन्टिमिडियट (IPC/ICWA (Inter)/CS Inter)
4. एम.आई.एस. मैनेजर :- BCA

(02) निर्धारित मानदेय :-

क्रम संख्या	पद नाम	मानदेय (प्रतिमाह रूपये में)
1.	लेखा मैनेजर	25,000/-
2.	स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर	25,000/-
3.	लेखा सहायक	12,000/-
4.	एम.आई.एस. मैनेजर	12,000/-

(03) आयु सीमा:- दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years

नोट:- विभिन्न वर्गों /अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गयी हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नोट:-

(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(4) राष्ट्रीयता :-

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख)नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग)भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ)तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01.01.1962 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो या

(ङ)भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालाबाई जैर तथा इथोपिया से भारत आया है।

नोट - वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें - इन नियमों में किसी बाबत के होते हुए भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायती संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो. ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाये और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

(5) आवेदन प्रक्रिया :-

1. उक्त पदों हेतु आवेदन करने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट <http://lsg.urbanrajasthan.gov.in/> पर दिये गये विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का निर्धारित प्रारूप एवं अन्य विवरण का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात आवेदन करे।
2. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में आवेदन करें।

(6) आवेदन करने की अवधि—

अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पद हेतु आवेदन विभागीय वेबसाइट <http://lsg.urbanrajasthan.gov.in/> पर दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 08.07.2022 से 21.07.2022 साय:6:00 बजे तक व्यक्तिशः स्वायत्त शासन विभाग के कमरा संख्या 412 में अथवा email Id: secretarycommissiondlb@gmail.com पर जमा कराया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

(7) चयन प्रक्रिया—

संविदा भर्ती पूर्णतया मेरिट आधार पर होगी। अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तानों के आधार पर मेरिट तैयार की जावेगी।

(8) विवाह पंजीयन :-


शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह -13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

(9) नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-

- (i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा परन्तु यह भी कि किसी भी संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।
- (ii) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।
- (iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, संविदा नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।
- (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

(10) विभाग की वेबसाइट :-

आवेदक विभागीय वेबसाइट <http://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण स्वायत्त शासन विभाग के परिसर में स्थित राजस्थान नगर पालिका सेवा चयन आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को संबोधित किया जाएगा।


(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा भर्ती हेतु
आवेदन का प्रारूप

विज्ञापन संख्या एवं दिनांक:-

आवेदित पद का नाम:-

आवेदक का
फोटो

आवेदक की ई-मेल आई. डी.:-

व्यक्तिगत विवरण

आवेदक का नाम:-

पिता का नाम:-

माता का नाम:-

जन्म तिथि:-

लिंग:-

श्रेणी:-

मोबाईल नम्बर:-

धर्म:-

विशेष श्रेणी:-

पहचान पत्र(आई.डी. प्रूफ)

आई0डी0 प्रूफ संख्या:-

मूल निवास स्थान:-

राष्ट्रीयता:-

वैवाहिक स्थिति:-

संतान सम्बन्धी विवरण:-

01.06.2002 को जीवित सन्तानों का विवरण:-

01.06.2002 के पश्चात पैदा हुये बच्चों/सन्तानों का विवरण:-

कुल जीवित बच्चे/सन्तान:

सम्पर्क विवरण

पत्राचार का पता:-

स्थायी पता:-

शैक्षणिक योग्यता:-

शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
माध्यमिक					
सी. सैकण्डरी					
स्नातक(डिग्री)					
स्नातकोत्तर					
अन्य योग्यता					

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

शपथ ग्रहिता

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ सत्य है एवं कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गये है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

